

**राजस्थान विधान सभा**  
**द्वितीय सत्र**  
**कार्य-सूची**  
**सोमवार, दिनांक 28 जुलाई, 2014**  
**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव**

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा, पृथ्वीराज नगर, जयपुर में नवीन भूमि अधिगृहण अधिनियम के अन्तर्गत नियमन प्रक्रिया प्रारम्भ कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में नगरीय विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री कैलाश वर्मा, सदस्य, विधान सभा, बृज बिहार कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर में हाईटेंशन लाईन को भूमिगत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

**3. याचिकाओं का उपस्थापन**

I- श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य, विधान सभा, राज्य बीमा कार्यालय राजसमन्द में राज्य कर्मचारियों की राज्य बीमा और प्रावधानी निधि की मासिक कटौती के विवरण का इन्द्राज कर्मचारियों के खाते में संधारण नहीं होने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

II- श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य, विधान सभा, बजट भाषण 2014-15 में की गई घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र अजमेर (दक्षिण) की अधिसूचित शहरी कच्ची बस्ती कल्याणीपुरा एवं गुर्जर धरती में नवीन सिटी डिस्पेंसरी स्वीकृत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

III- श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य, विधान सभा, रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र की चेचट उप तहसील में ग्रामीण हाट बाजार बनाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

IV- डॉ० फूलचन्द भिण्डा, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजनौता, तहसील-कोटपुतली, जयपुर में विज्ञान संकाय खुलवाये जाने बाबत् ।

(2) नगरपालिका, विराटनगर का भवन बनवाये जाने बाबत् ।

#### **4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन**

श्री रामेश्वर लाल डूडी, सभापति, जनलेखा समिति, 2014-2015 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. जनलेखा समिति, 2011-12 के 127वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2014-15 का 24वां प्रतिवेदन।
2. जनलेखा समिति, 2011-12 के 143वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2014-15 का 25वां प्रतिवेदन।
3. जनलेखा समिति, 2012-13 के 212वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2014-15 का 26वां प्रतिवेदन।
4. जनलेखा समिति, 2012-13 के 213वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2014-15 का 27वां प्रतिवेदन ।
5. जनलेखा समिति, 2013-14 के 224वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2014-15 का 28वां प्रतिवेदन ।
6. जनलेखा समिति, 2013-14 के 238वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2014-15 का 29वां प्रतिवेदन ।
7. वर्ष 2010-11 के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) में समाविष्ट सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2014-15 का 30वां प्रतिवेदन ।

#### **5. परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015**

##### **द्वितीय अवस्था**

##### **अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान**

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<b>क्र.सं.</b>	<b>मांग संख्या</b>		<b>मुख्य शीर्षक</b>
1.	42	-	उद्योग
2.	43	-	खनिज

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

नोट:- परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015 की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी ।

**6. विधायी कार्य**

**पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक**

**राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014**

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान विनियोग (संख्या-3)  
विधेयक, 2014  
(2014 का विधेयक संख्या-13)

“वित्तीय वर्ष 2014-2015 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।”

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

तौफीक हुसैन हाशमी  
उप सचिव (सामान्य)

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 26 जुलाई, 2014